

विष्णु आत्मज स्व. श्री चंद्रराम नामदेव 38-55 वर्ष

निवासी-ग्राम झांसीघाट खमरिया तहसील गोटेगांव

जिला-नरसिंहपुर म. प्र. १

... आवेदक

बनाम

श्री गोविन्दप्रसाद आ. श्री रामेश्वरप्रसादचीबे

निवासी-ग्राम खमरिया तहसील शोख गोटेगांव

जिला-नरसिंहपुर म. प्र. १

... अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका, अंतर्गत धारा 50 म. प्र. राजस्व संहिता 1959

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है -

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय गोटेगांव के अंतर्गत मौजा खमरिया प. ह. नं. 38/20 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के रा. प्र. क्र. 104/12 वर्ष 2012/13 में आवेदक गोविन्द प्रसाद में - पारित आदेश दिनांक 15/7/13 से पीड़ित होकर अन्यायपूर्ण आधारों में से निम्नांकित कुछ आधारों पर निम्नानुसार प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि -

2. यह कि आवेदक एवं आवेदक के अन्य भाई रामनारायण, छोटेलाल, किशन एवं लक्ष्मण तथा चचेरे भाई प्रेमलाल आ. मालक एवं चन्नू आ. लल्लू की मौजा खमरिया प. ह. नं. 38/20 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में भूमि ख. नं. 368/3 {तीन सौ अड़सठ बटे तीन} रकबा 0.020 {शून्य दशमलव शून्य दो तीन हे०} हे० शामिल शरीक हिन्दू परिवार की संयुक्त भूमि थी जो कि राजस्व अभिलेखों में शामिल शरीक नाम दर्ज चली आ रही है।

3. यह कि ऊपर दर्शायी भूमि का बिना कोई बंटवारा किए अनावेदक ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम आवेदक एवं उसके अन्य भाईयो की जानकारी के दर्ज करा लिया।

4. यह कि अनावेदक ने ऊपर दर्शायी भूमि में से रकबा 0.005 हे० {शून्य दशमलव शून्य पांच हे०} का सीमांकन कराये जाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय गोटेगांव के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके आधार पर रा. प्र. क्र. 14 अ/12 वं

useful
27-8-13
27-8-13
27-8-13

29-13

R. 3326

